आवास योजनाओं के लिए राजस्थान को ऋण

333. श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 2 वर्षों के दौरान आवास और शहरी विकास निगम द्वारा राजस्थान को ऋण उपलब्ध कराने हेतु कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया गया और इस समय अनुमोदन के लिए कितनी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) उन योजनाओं के अधीन कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किए जाने की संभावना है और ऐसी प्रत्येक आवास इकाई के निर्माण पर कितनी लागत आएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

वर्ष	स्वीकृत योजनाओं की संख्या
1986–87	22
1987–88	34
1988–89 (31–1–89 तक)	20

अनुमोदन के लिए विचाराधीन योजनाओं की संख्या 10

(ख) 1986–87 से 1988–89 (31–1–89)) तक 76 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 19295 रिहायशी एकक स्वीकृत किए गए हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	6663
निम्न आय वर्ग	7570
मध्यम आय वर्ग	4240
उच्च आय वर्ग (31–1–89)	822
	19295

हुडको की विद्यमान वित्तीय पद्धति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में रिहायशी एककों की अधिकतम लागत सीमा इस प्रकार है :—

ग्रामीण आवास सीमा	अधिक तम सीमा
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (भूमिहीन कामगारों के लिए) I	6000 रुपए (भूमि लागत को छोड़कर)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (भूमिहीन कामगारों के लिए) ii	10,000 रु० (भूमि की लागत को छोड़कर)
शहरी आवास	
आर्थिक दृष्टि से कम जोर वर्ग II (निर्मित आवास एकक)	15000 रु०
निम्न आय वर्ग-I	20,000 रु०
निम्न आय वर्ग-II	30,000 रु०
मध्यम आय वर्ग-I	60,000 रु०
मध्यम आय वर्ग-II	1,00,000 रु०
उच्च आय वर्ग	2,50,000 रु०

राजस्थान में चीनी मिलें

334. श्री सन्तोष बागड़ोदिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितनी चीनी मिलें हैं तथा ये कहां-कहां पर स्थापित हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस राज्य में और चीनी मिलें स्थापित करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इन चीनी मिलों के स्थापित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी०एल० बैठा) : (क) राजस्थान में इस समय तीन चीनी मिलें

हैं जो कि '(1) भूपालसार, जिला चित्तौड़गढ़, (2) श्री गंगानगर, जिला श्रीगंगानगर, और (3) केशोरायपाटन जिला बूंदी में स्थित हैं ।

(ख) सरकार के पास इस समय राजस्थान में और चीनी मिलें स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है । जब कभी ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से उद्यमियों से प्राप्त होगा तब उस पर कृषि मौसमी स्थितियों और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से रखकर विचार किया जाएगा । राज्य के किन इलाकों में नयी चीनी मिलें स्थापित की जायें, इस बारे में केन्द्रीय सरकार कोई प्रस्ताव नहीं देती है ।

Allotment of Accommodation to dependants of deceased employees of CPWD

335. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a number of representations of widow mothers of deceased Junior Engineers of CPWD have been received by Government requesting therein to provide suitable alternate accommodations to the eligible dependants of deceased employees in lieu of the Government accommodation occupied by them which was allotted to the deceased employees by the CPWD 'P' Division;

(b) if so, the number of such representations received during the months of January and February, 1989 and action taken on each of them; and

(c) whether Government propose to make allotment of suitable alternate accommodation to the eligible dependants of such deceased employees on compassionate grounds in the near future by issuing necessary directions to Directorate of Estates and if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Only one such representation was received in January/February, 1989. The request made therein could not be agreed to as the rules do not provide for allotment of essential staff quarters to the family of the deceased Government servants.

(c) No such direction is proposed to be issued to the Directorate of Estates as the existing instructions provide for allotment of alternative accommodation to dependants of deceased employees who were in occupation of accommodation in the general pool only.

Disparity in payment of honorarium in C.P.W.D

336. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that honorarium of Rs. 1,000 was paid to all Assistant Engineers/Assistant Executive Engineers of various Zones/Departments of CPWD, who shouldered the burden of work of JEs during the strike of CPWD JEs in 1987 whereas an honorarium of Rs. 750 was paid to Assistant Engineers/Assistant Executive Engineers of Mehrauli Badarpur Road Housing Project (MBRHP), Sewa Bhawan, New Delhi and various other divisions of the same service;

(b) if so, the reasons for this type of disparity in respect of payment of honorarium for same work; and

(c) whether Government propose to bring the Engineers of MBRHP and its divisions at par with the Engineers of other Zones/Departments, in respect of payment of honorarium for the said purpose; and if so, by when; and if not the reasons therefor?